



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 387]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर 2015—भाद्र 30, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्र. एफ. बी-4-29-2014-2-पांच(18).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. बी-4-29-2014-2-पांच(01) दिनांक 2 जनवरी, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,—

- (एक) अनुक्रमांक 8 के सामने, कॉलम (3) में, अनुच्छेद क्रमांक 25 से संबंधित प्रविष्टि क्रमांक 1 में, शब्द “प्राथमिक गृह निर्माण आवास समितियों” का लोप किया जाए;
- (दो) अनुक्रमांक 22 के सामने, कॉलम (3) में, अनुच्छेद क्रमांक 60 से संबंधित विद्यमान उपबंधों का लोप किया जाए;
- (तीन) अनुक्रमांक 24 के सामने, कॉलम (3) में, अनुच्छेद क्रमांक 62 से संबंधित विद्यमान उपबंधों का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्र. एफ. बी-4-29-2014-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. बी-4-29-2014-2-पांच (18), दिनांक 21 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 21st September 2015

No. F. B-4-29-2014-2-V(18).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F. B-4-29-2014-2-V(01) dated 2nd January 2015, namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule,—

- (i) Against serial number 8, in column (3), in entry number 1 related to article number 25, the words “Primary Co-operative Housing Societies” shall be omitted;
- (ii) Against serial number 22, in column (3), existing provisions related to article number 60 shall be omitted;
- (iii) Against serial number 24, in column (3), existing provisions related to article number 62 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.